छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल

ऑफिस कॉम्प्लेक्स प्रथम तल ब्लॉक–A एकात्म पथ,सेक्टर–24 अटल नगर, रायपुर (छ0ग0)

ईमेल– secretaryboc@gmail.com, phone No. 0771-2971063

//अधिसूचना//

अटल नगर, दिनांक 09/10/2020

क्रमांक/49/04/योजना/बीओसी/2020/.....110..... छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 सहपठित छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्तों का विनियमन) नियम 2008 के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए जारी अधिसूचना क्रमांक 57 नया रायपुर, दिनांक 23.09.2017 द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए संचालित योजना **"मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर इज्जत मन्थली सीजन टिकट कार्ड योजना"** को इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से समाप्त किया जाता है।

(छ0ग0 शासन श्रम विभाग द्वारा अनुमोदित)

(राजेश कुमार पात्रे)
सचिव
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मंडल, अटल नगर

पृ0क्रमांक/49/04/योजना/बीओसी/2020/2213-2228 अटल नगर, दिनांक 09/10/2020

प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक, माननीय श्रम मंत्रीजी, छ0ग0 शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला–रायपुर (छ0ग0)।
2. निज सहायक, माननीय अध्यक्ष, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल (श्रम विभाग) मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला–रायपुर (छ0ग0)।
3. निज सचिव, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला–रायपुर (छ0ग0)।
4. श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय, इन्द्रावती भवन, व्दितीय तल, खण्ड–03, नवा रायपुर, अटल नगर जिला–रायपुर (छ0ग0)।
5. समस्त जिला कलेक्टर, ...(छ0ग0)।
6. समस्त सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी कार्यालय ....(छ0ग0)।
7. प्रभारी अधिकारी, छ0ग0 असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल इन्द्रावती भवन, व्दितीय तल, खण्ड–03, नवा रायपुर, अटल नगर जिला–रायपुर (छ0ग0)।

निरंतर.............2

8. संचालक, संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला–रायपुर (छ0ग0)।
9. समस्त उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कार्यालय ....(छ0ग0)।
10. कल्याण आयुक्त, छ0ग0 श्रम कल्याण मंडल, प्रवीण भवन 31/520, न्यू शांति नगर, रायपुर (छ0ग0)।
11. संचालक, संचालनालय, कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला–रायपुर (छ0ग0)।
12. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर उपरोक्त अधिसूचना जन सामान्य के सूचनार्थ समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
13. उप संचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, खैरागढ़ रोड़, राजनांदगांव (छ0ग0) की ओर आगामी राजपत्र में प्रकाशित किए जाने हेतु प्रेषित् कर लेख है कि कृपया प्रकाशित राजपत्र की 50 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित्।
14. लेखा शाखा, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल नवा रायपुर, अटल नगर, (छ0ग0)।
15. एन0आई0सी0 शाखा, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0) की ओर **तत्काल** वेब साईट में अपलोड करने बाबत्।
16. गार्ड फाईल।

सचिव
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मंडल, अटल नगर

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल

पी0 3सी0, 244–245, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सेक्टर–27, नया रायपुर

अधिसूचना

नया रायपुर, दिनांक 23/09/2017

क्रमांक 57 "भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996" सहपठित "छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्तो का विनियमन) नियम 2008" के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के हितग्राहियों के लिए निम्नानुसार योजना बनाती है:–

(अ) **योजना का प्रावधान** :–

(i) योजना का नाम "मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर इज्जत मन्थली सीजन टिकट कार्ड योजना" होगा।

(ii) योजना के अंतर्गत रेलगाड़ियों में यात्रा करने के लिए पंजीकृत हितग्राहियों को 150 कि0मी0 तक इज्जत मन्थली सीजन टिकट कार्ड (MST) में लगने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति मण्डल द्वारा प्रदाय किया जावेगा।

(iii) योजना के प्रावधान अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होगें।

(ब) **योजना हेतु पात्रता** :–

(i) योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु निर्माण श्रमिकों का मण्डल में पंजीयन होना आवश्यक होगा।

(ii) यदि कोई व्यक्ति राज्य शासन के समानांतर किसी अन्य योजना से लाभ प्राप्त कर रहा है, तो उसे इस योजना का लाभ नही मिलेगा।

(स) **योजना हेतु आवेदन की प्रकिया**

(i) आवेदक को स्वयं के हस्ताक्षर से आवेदन करना होगा।

(ii) आवेदन में छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल का पंजीयन कमांक अंकित किया जाना आवश्यक है।

(iii) आवेदन संबंधित क्षेत्राधिकारिता के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी कार्यालय में जमा किया जाना होगा।

(द) **स्वीकृति का अधिकार :–**

(i) योजना के अंतर्गत स्वीकृति का अधिकार संबंधित जिले के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी को होगा।

(ई) **विसंगति का निराकरण–**

(i) योजना में उल्लेखित शर्तो/नियमों के अतिरिक्त यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, उस स्थिति में सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल का इस संबंध में निर्णय अंतिम माना जावेगा।

(छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग द्वारा अनुमोदित)

Sd/-
(सविता मिश्रा)
सचिव
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मंडल, नया रायपुर

पृ0क्र0 / / 2044-2053 नया रायपुर, दिनांक 23/9/17

प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
2. माननीय अध्यक्ष, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, नया रायपुर (छ0ग0)
3. निज सहायक, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
4. श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ रायपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर (छ0ग0)
6. सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी .... (छ0ग0)
7. उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा .... (छ0ग0)
8. एनआईसी शाखा, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की ओर वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
9. लेखा शाखा, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, नया रायपुर
10. उप संचालक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव की ओर प्रेषित कर लेख है, कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

सचिव
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मंडल, नया रायपुर

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निमार्ण कर्मकार कल्याण मंडल, रायपुर
मकान नं. पी–3 सी, 244.245 हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, सेक्टर 27 नया रायपुर (छ0ग0)
क्र0 / भअसकककम / लेखा शाखा / 2015 / रायपुर दिनांक

//आदेश//

नया रायपुर ,दिनांक 15/09/15

कमांक ..74..... / 2015, छत्तीसगढ़ भवन एंव अन्य सन्निार्मण कर्मकार कल्याण मण्डल की तेरहवी बैठक दिनांक 19.08.2015 में **"मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर इज्जत मंथली सीजन टिकट कार्ड योजना"** को समाप्त करने के प्रस्ताव पर मण्डल से अनुमोदन उपरान्त छत्तीसगढ़ भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा **"मुख्यमंत्री निर्माण मजदुर इज्जत मंथली सीजन टिकट कार्ड योजना"** को समाप्त किया जाता है।

15/9

(सविता मिश्रा)
सचिव
छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर

पृ0क0 / भअसकककम / लेखा शाखा / 1087-1097 रायपुर दिनांक 15/9/15
प्रतिलिपिः–

01 विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, श्रम विभाग ,मंत्रालय नया रायपुर ।
02 अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,श्रम विभाग एवं अध्यक्ष छत्तीसगढ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल मंत्रालय नया रायपुर।
03 सचिव सह श्रमायुक्त,छत्तीसगढ़ शासन,श्रम विभाग, मंत्रालय नया रायपुर।
04 कलेक्टर जिला............छ0ग0।
05 सचिव छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल नया रायपुर।
06 उप श्रमायुक्त,श्रमायुक्त कार्यालय छत्तीसगढ।
07 कल्याण आयुक्त, श्रम कल्याण मण्डल नया रायपुर।
08 नोडल अधिकारी छ0ग0 असंगठित कर्मकार राज्य समाजिक सुरक्षा मंडल इंद्रावती भवन नया रायपुर।
09 सहायक श्रमायुक्त / श्रम पदाधिकरी जिला....................छ0ग0।
10 लेखा शाखा ,छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निमार्ण कर्मकार कल्याण मण्डल नया रायपुर।
11 आदेश प्रकरण पत्रिका में संकलनार्थ।

15/9

(सविता मिश्रा)
सचिव
छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मण्डल,
रायपुर

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल

माता गैरेज के पीछे, जयभोले काम्प्लेक्स के सामने, पंडरी रायपुर

अधिसूचना

दिनांक 21/11/12

क्रमांक 18 "भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996" सहपठित "छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तो का विनियमन) नियम 2008" के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छ0ग0 भवन एवं अन्य अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल एतद् द्वारा "छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के हितग्राहियों के लिए निम्नानुसार योजना बनाती है :-

(अ) **योजना का प्रावधान :-**

(i) योजना का नाम "मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर इज्जत कार्ड योजना 2012" होगा।

(ii) योजना के अंतर्गत रेलगाड़ियों में 150 कि0मी0 तक दैनिक यात्रा करने के लिए पंजीकृत हितग्राहियों को इज्जत कार्ड (MST) मण्डल द्वारा रेल्वे के सहयोग से प्रदाय किया जावेगा।

(iii) योजना के प्रावधान अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होगा।

(ब) **योजना हेतु पात्रता :-**

(i) योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु निर्माणी श्रमिकों का मण्डल में पंजीयन होना आवश्यक है।

(ii) आय प्रमाण पत्र- जिला कलेक्टर, सासंद (केन्द्रीय मंत्री) विशिष्ट परिस्थिति में डिवीजनल रेलवे मैनेजर, विधायक (उनके विधानसभा क्षेत्र के लिए केवल एक बार उपयोग होगा) द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण-पत्र तथा बीपीएल कार्ड भी वैद्य होगा।

(iii) योजना का लाभ ऐसे पंजीकृत हितग्राही जिनकी मासिक आय 1,500/- तक की हो, को प्रदाय किया जावेगा।

(iv) योजना का लाभ राज्य शासन के समानान्तर किसी अन्य योजना से

प्राप्त कर रहा है, तो इस योजना का लाभ नही मिलेगा।

(स) **योजना हेतु आवेदन की प्रकिया**

(i) आवेदक के स्वयं के हस्ताक्षरयुक्त आवेदन करने पर।

(ii) आवेदन में छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल का पंजीयन कमांक अंकित किया जाना आवश्यक है।

(iii) आवेदन संबंधित क्षेत्राधिकारिता के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी कार्यालय में जमा किया जावेगा।

(द) **स्वीकृति का अधिकार** :-

(i) योजना के अंतर्गत स्वीकृति का अधिकार संबंधित जिले के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी को होगा।

(ई) **विसंगति का निराकरण**-

(i) योजना में उल्लेखित शर्तो/नियमों के अतिरिक्त यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, उस स्थिति में सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल का इस संबंध में निर्णय अंतिम माना जावेगा।

उपरोक्त अधिसूचना दिनांक 19.07.2012 से भूतलक्षीय प्रभाव से प्रभावशील होगी ।

(छ0ग0 शासन श्रम विभाग द्वारा अनुमोदित)

(सविता मिश्रा)
सचिव
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मण्डल

पृ0क0 / / 5383 - 5417 रायपुर, दिनांक 27/11/12

प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
2. निज सहायक, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)

3. श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ रायपुर
4. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर (छ0ग0)
5. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल रायपुर (छ0ग0)
6. सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी .... (छ0ग0)
7. उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा .... (छ0ग0)
8. उप संचालक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव की ओर प्रेषित कर लेख है, कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

सचिव
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मण्डल